

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक-2399/12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 20-12-2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.911 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०. FP/UK/ROAD/40805/2019.

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1070 /FP/UK/ROAD/40805/2019 दिनांक 26.10.2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 2276 /12-1 दिनांक 16.12.2021 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न-प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)  
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक:- 2276 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 16 दिसम्बर, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.911 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में। प्रपोजल सं० (FP/UK/ROAD/40805/2019)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1070/FP/UK/ROAD/40805/2019 दिनांक 26.10.2021 व भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुभाष रोड के पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/23/2021/एफ०सी०/2475, दिनांक 17.03.2021।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दु संख्या 03, 04, 05 एवं 10 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण का संलग्नक सहित निम्नानुसार प्रेषित है-

S.NO	आपत्ति	उत्तर
1.	State Government is requested to mark the alternate alignment in the KML file of the proposed area and upload the same at para C in Part I online.	Alternate alignment marked in KML with Blue color as polygon and also uploaded at para C in Part I online.
2.	State Govt. is requested to submit the details of the existing road, any approval under FCA obtained earlier and form where this road is starting.	The approved sanction letter with no - GI:-2756/7-1-2003-600(2698)/2009, dated 15-07-2013 of existing road under approval of FCA is attached with the letter.
3.	Details of alternative alignment uploaded at para D (ii) (a) is found incorrect. State Government may submit the details of alternative alternate alignment at para D (ii) (a) in Part I.	The Geo map with co-ordinates of alternate alignment shows as blue color is uploaded at Para D (ii) (a) in Part I. And the hard copy of Topo and Geo map was sent by letter no 2424/22 Yata, 14-09-2021.
4.	Details of girth wise trees mentioned at para 4 in Part II are not matching with details mentioned in the tree enumeration list uploaded in additional documents. For e.g. 80 saplings mentioned in 0-10 in tree enumeration list uploaded in additional document but details of only 12 filled in 0-30 cm. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/documents.	Detail of girth wise trees are corrected at para 4 in Part II.

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:-जी0आई0:- 2756/17-1-2013-600(2986)/2009.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संविदा अविभागीय वन विभाग  
दिनांक 17/9/2013  
दिनांक 16/8/2013  
दिनांक 22/11/2013

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 15/07/2013.

विषय:- जनपद-पिथौरागढ़ में चण्डाक-धारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 3256/1जी-2606 (पिथौ0) दिनांक 26-06-2013 के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-पिथौरागढ़ में चण्डाक-धारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/76/2009/एफ.सी./364 दिनांक 03-06-2013 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम-पामै, तहसील-पिथौरागढ़, जिला-पिथौरागढ़ में 3.00 हे० अवनत सिविल एवं सोयस भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(1) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
3. वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन की गई उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से

सहायक अभियन्ता  
वन विभाग, लोणिकेत  
पिथौरागढ़

11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
  12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
  13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
  14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
  15. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
  16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
  17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
  18. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
  19. प्रयोक्ता एजेन्सी वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। उक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही वन भूमि पर कार्य आरम्भ किया जायेगा।
  20. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0-104/26/प्र0स0-आ0व0ग्रा0वि0 दि0-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं0-110/26/प्र0स0-आ0व0ग्रा0 वि0 दि0-4-1-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

उक्त प्रति सत्यापित  
 सहायक अभियन्ता  
 प्रांतीय, खण्ड, लो0नि0वि0  
 मिथौरागढ़

भवदीय,  
 (राजेन्द्र कुमार)  
 अपर सचिव।

संख्या:-जी0आई0:-2756/ 7-1-2013-600(2986)/2009 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन सैक्टर-एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5. वन सचिव, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

आज्ञा से